कार्यालय प्रधानाचार्य
डा0बी0आर0 अम्बेदकर राजकीय बहुतकनीकी
अम्बोटा जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश–177205

संख्याः जीपीए/जी–11/2004/–19   दिनांकः–30.06.2026

निविदा सूचना

डॉ0 बी0 आर0 अम्बेदकर राजकीय बहुतकनीकी अम्बोटा के कन्या छात्रावास में जिसमे अधिकतम 110 छात्रायें और लड़को का छात्रावास जिसमें अधिकतम 120 छात्रों के रहने का प्रावधान है के लिए निम्नलिखित आहारिका (Menu) के अनुरूप खाना बनाने एवं खाना खिलाने (वितरित) करने के लिए निविदाए आमंत्रित की जाती हैं।

कन्या छात्रावास आहारिका (Menu)

क सं	विवरण	सोमवार	मंगलवार	बुधवार	वीरवार	शुकवार	शनिवार	रविवार
1	सुबह का नाश्ता	आलू परांठा + दही/आचार	अजवाइन परांठा + चाय/आचार	मिक्स सब्जी + चपाती	प्याज परांठा + चाय/आचार	आलू सब्जी + चपाती	मिक्स सब्जी + चपाती + दहीं	छोले भटूरे + हलवा
2	दोपहर का भोजन	राजमाह + चावल	मूंग मसूर दाल + चावल	सफेद चने + चावल	चना दाल + चावल	काले चने + चावल	पुलाव + दहीं	माह चने दाल + चावल
	शाम की चाय	चाय + बिस्कुट	चाय + नमकीन	चाय + समोसा	चाय + नमकीन	चाय + रस्क	चाय + समोसा	चाय + नमकीन
3	रात्रि भोजन	आलू न्यूट्री + चपाती	आलू शिमला मिर्च + दही + चपाती	आलू मटर + चपाती	मिक्स सब्जी + दही + चपाती	मौसमी सब्जी + दही + चपाती	मटर पनीर + चपाती	मिक्स सब्जी दही + चपाती

लड़को का छात्रावास आहारिका (Menu)

क सं	विवरण	सोमवार	मंगलवार	बुधवार	वीरवार	शुकवार	शनिवार	रविवार
1	सुबह का नाश्ता	आलू परांठा + दहीं	अजवाइन परांठा + चाय/आचार	आलू परांठा + दहीं	प्याज परांठा + चाय/आचार	आलू सब्जी + दहीं + चपाती	आलू परांठा + दहीं	छोले भटूरे/पुरी + चाय/
2	दोपहर का भोजन	राजमाह + चावल	चने/मलका/मूंग मसूर दाल + चावल	सफेद चने + चावल	काले चने + चावल	रोंगी + चावल	माह चने की दाल + चावल	राजमाह/काले चने + चावल
3	रात्रि भोजन	आलू न्यूट्री + चपाती	माह चने की दाल + चपाती	आलू सब्जी + चपाती + आचार	राजमाह + चपाती	मौसमी सब्जी + दही + चपाती	मौसमी सब्जी + दही + चपाती	पनीर/चिकन + चपाती

कन्या एवं लड़को का छात्रावास के मैस को ठेके पर देने के नियम व शर्तेः–

1. प्रत्येक बोलीदाता/निविदाकर्ता को निविदा के साथ धरोहर राशि (Earnest Money Deposit – EMD) के रूप में रु. 5000, जमा करनी होगी। बिना EMD के प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. धरोहर राशि (EMD) डिमांड ड्राफ्ट/एफडीआर/बैंकर्स चेक के रूप में प्रधानाचार्य डॉ0बी0आर0अम्बेदकर राजकीय बहुतकनीकी अम्बोटा जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश 177205 के पक्ष में जमा की जाएगी।
3. असफल बोलीदाताओं की धरोहर राशि निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात नियमानुसार वापस की जाएगी।
4. सफल बोलीदाता की धरोहर राशि (EMD), अनुबंध निष्पादन एवं कार्यपालन सुरक्षा राशि (Performance Security) जमा करने के पश्चात नियमानुसार वापस की जाएगी।
5. यदि सफल बोलीदाता निर्धारित समयावधि में कार्य प्रारम्भ करने अथवा कार्यपालन सुरक्षा राशि जमा करने में विफल रहता है, तो उसकी धरोहर राशि (EMD) जब्त की जा सकती है।
6. चयनित मेस संचालक को कार्यादेश जारी होने के पश्चात निर्धारित अवधि, के भीतर कार्यपालन सुरक्षा राशि (Performance Security) के रूप में रु. 15000/– कन्या छात्रावास की मेस लिए और रु. 15000/– लड़को का छात्रावास की मेस के लिए जमा करनी होगी।
7. कार्यपालन सुरक्षा राशि डिमांड ड्राफ्ट/एफडीआर के रूप में प्रधानाचार्य डॉ0बी0आर0अम्बेदकर राजकीय बहुतकनीकी अम्बोटा जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश 177205 के पक्ष में जमा की जाएगी।
8. कन्या/ लड़को के छात्रावासो का किराया प्रतिमाह 1500/– रूपये प्रति मेस निर्धारित है, जिसे प्रत्येक माह की 10 तारीख से पहले संस्थान के खजांची के पास जमा करवाना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त सफल निविदकर्ता को मेस के लिए बिजली का शुल्क 250/– रूपये प्रतिमाह प्रति मेस तथा पानी का शुल्क 250/– रूपये प्रतिमाह प्रति मेस भी संस्थान के खजांची के पास हर माह की 10 तारीख से पहले जमा करवाना अनिवार्य होगा। यदि उपर्युक्त निर्धारित तिथि तक मेसो का किराया, बिजली एवं पानी का शुल्क जमा करने में असफल रहते हैं, तो आपको प्रतिदिन 25 रूपये अतिरिक्त शुल्क जुर्माने के तौर पर प्रति मेस अदा करना होगा जोकि 10 दिन बाद 50/– रूपये प्रतिदिन हो जायेगा। बार–बार इस प्रकार की चूक करने पर आपका अनुबंध समाप्त किया जा सकता हैं एवं कार्यपालन सुरक्षा राशि भी जब्त की जा सकती हैं।
9. छुटियों/दीपावली की छुटियों के दौरान छात्रावासों में मौजूद छात्रों (अगर कोई हो तो) की संख्या के आधार पर भोजन शुल्क लिया जायेगा। किसी कारणवश अगर छात्रावासो में एक भी छात्र रहेगा उसे भी भोजन उपलब्ध करवाना पड़ेगा।
10. कार्यपालन सुरक्षा राशि अनुबंध की शर्तों के संतोषजनक पालन, सेवा की निरंतरता, भोजन की गुणवत्ता, संस्था की संपत्ति की सुरक्षा तथा अन्य संविदात्मक दायित्वों के पालन की गारंटी के रूप में रखी जाएगी।
11. अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन, सेवा में कमी, संस्था को वित्तीय/प्रशासनिक हानि, कार्य अधूरा छोड़ने अथवा अनुबंध समाप्ति की स्थिति में संस्था को कार्यपालन सुरक्षा राशि से समायोजन/कटौती/जब्ती करने का अधिकार होगा।
12. कार्यपालन सुरक्षा राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा तथा यह अनुबंध अवधि समाप्ति एवं सभी देय दायित्वों की पूर्ति के उपरांत नियमानुसार वापस की जाएगी।
13. मेस संचालक को नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात्रि भोजन तथा आवश्यकता अनुसार चाय/नाश्ता निर्धारित समयानुसार उपलब्ध कराना होगा।
14. मेस संचालक भोजन की तैयारी, पकाने, परोसने, रसोईघर की सफाई, भोजन कक्ष की व्यवस्था, बर्तनों की धुलाई तथा खाद्य सामग्री के सुरक्षित भंडारण की समुचित व्यवस्था करेगा।
15. मेस संचालक को अनुमोदित मेन्यू के अनुसार भोजन उपलब्ध कराना होगा।
16. मेस संचालक संस्था की पूर्व अनुमति के बिना मेन्यू में परिवर्तन नहीं करेगा।
17. उपरोक्त मेन्यू के अलावा अगर छात्र/छात्रायें मेन्यू में (Break fast/Lunch/snacks/Dinner) में कुछ संशोधन करना चाहते हैं तो मेस कमेटी की सिफारिश अनुसार, किया गया संस्तुत संशोधन, मेस संचालक को मान्य होगा।

18. मेस संचालक को निर्धारित दरो पर छात्र/छात्रायों कें आंगतुको/ स्टाफ सदस्यों (अगर हो तो) Break fast/Lunch/Dinner की सुविधा उपलब्ध करवानी होगी।
19. भोजन की गुणवत्ता उत्तम, स्वच्छ, ताजा, पौष्टिक एवं स्वास्थ्यवर्धक होनी चाहिए।
20. भोजन में प्रयुक्त खाद्य सामग्री जैसे आटा, चावल, दाल, तेल, मसाले, दूध, सब्जियाँ आदि मानक गुणवत्ता की होनी चाहिए।
21. किसी भी प्रकार की बासी, दूषित, निम्नस्तरीय अथवा मिलावटी खाद्य सामग्री का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
22. कन्या छात्रावास में रसोईया एवं अन्य कार्यो के लिए केवल महिला कर्मचारियो का होना अनिवार्य हैं।
23. संस्था/मेस समिति/अधिकृत अधिकारी को किसी भी समय खाद्य सामग्री, रसोईघर, भंडार कक्ष तथा भोजन की गुणवत्ता का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
24. यदि भोजन की गुणवत्ता असंतोषजनक पाई जाती है तो संस्था सुधार हेतु निर्देश दे सकेगी तथा आवश्यकतानुसार दंडात्मक कार्रवाई कर सकेगी।
25. मेस संचालक को पर्याप्त संख्या में रसोइया, सफाई कर्मचारी, तथा अन्य आवश्यक स्टाफ नियुक्त करना होगा।
26. मेस स्टाफ का आचरण शिष्ट, अनुशासित एवं छात्रावास प्रशासन तथा विद्यार्थियों के प्रति सम्मानजनक होना चाहिए।
27. मेस कर्मचारी का अनुचित, असभ्य, आपत्तिजनक अथवा अनुशासनहीन व्यवहार पाए जाने पर संस्था उसे तत्काल हटाने का निर्देश दे सकती है।
28. मेस संचालक अपने कर्मचारियों के वेतन, तथा अन्य वैधानिक दायित्वों के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।
29. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम तथा अन्य लागू कानूनों/नयमों का पालन करना मेस संचालक के लिए अनिवार्य होगा।
30. मेस संचालक रसोईघर, भोजन कक्ष, भंडार कक्ष, बर्तनों तथा मेस परिसर की प्रतिदिन स्वच्छता एवं साफ–सफाई सुनिश्चित करेगा।
31. कूड़ा–कचरे का निस्तारण प्रतिदिन स्वच्छ तरीके से निर्धारित स्थान पर किया जाएगा।
32. मेस परिसर में मक्खी, मच्छर, चूहे एवं अन्य कीटों की रोकथाम हेतु उचित व्यवस्था करना मेस संचालक की जिम्मेदारी होगी।

33. विशेषज्ञ व्याख्यान, कार्यशालाओं, विदाई समारोहों, वार्षिक कार्यक्रमों, समितियों/उच्च अधिकारियों की यात्रा/का दौरा इत्यादि के दौरान अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करनी होगी। इन अवसरों के लिए मेन्यू एवं मुल्य संस्थान की मेस समिति/स्टाफ सचिव से परामर्श कर निर्धारित किया जाएगा।
34. संस्था को भोजन की गुणवत्ता, सेवा में कमी, विलंब, अनुबंध उल्लंघन अथवा अन्य अनियमितताओं की स्थिति में भुगतान में कटौती करने का अधिकार होगा।
35. यदि मेस संचालक द्वारा सेवा में लापरवाही, भोजन की खराब गुणवत्ता, स्वच्छता में कमी, मेन्यू का उल्लंघन, समयपालन में कमी अथवा अन्य शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संस्था जुर्माना/दंड लगा सकेगी।
36. बासी, दूषित अथवा अस्वास्थ्यकर भोजन परोसने की स्थिति में संस्था आवश्यकतानुसार दंड, भुगतान कटौती, सुरक्षा राशि से समायोजन अथवा अनुबंध समाप्ति तक की कार्रवाई कर सकती है।
37. किसी भी प्रकार की खाद्य विषाक्तता, स्वास्थ्य हानि अथवा स्वच्छता संबंधी गंभीर घटना की स्थिति में मेस संचालक उत्तरदायी होगा।
38. रसोईघर एवं मेस परिसर में अग्नि सुरक्षा, गैस सुरक्षा तथा अन्य आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना मेस संचालक की जिम्मेदारी होगी।
39. संस्था द्वारा उपलब्ध कराए गए बर्तन, फर्नीचर, रसोई उपकरण, गैस कनेक्शन, पानी/बिजली फिटिंग आदि का उपयोग सावधानीपूर्वक किया जाएगा।
40. संस्था की किसी भी संपत्ति, उपकरण अथवा सामग्री की क्षति/टूट–फूट/गुम होने की स्थिति में उसकी भरपाई मेस संचालक द्वारा की जाएगी।
41. मेस संचालक मेस संचालन कार्य किसी अन्य व्यक्ति/फर्म/एजेंसी को हस्तांतरित अथवा उप–ठेके पर नहीं देगा।
42. संस्था/मेस समिति/छात्रावास अधीक्षक/अधिकृत अधिकारी को किसी भी समय मेस, रसोई, स्टोर, अभिलेख एवं भोजन सामग्री का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

43. मेस संचालक निरीक्षण में पूर्ण सहयोग करेगा तथा निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को निर्धारित समयावधि में दूर करेगा।
44. छात्राओं/छात्रावास प्रशासन की शिकायतों का निवारण मेस संचालक द्वारा तत्काल किया जाएगा।
45. बार-बार शिकायत प्राप्त होने, भोजन की गुणवत्ता खराब पाए जाने, स्वच्छता में कमी, समयपालन न होने अथवा अनुशासनहीनता की स्थिति में संस्था दंडात्मक कार्रवाई कर सकती है अथवा अनुबंध रदद किया जा सकता है।
46. संस्था निम्न परिस्थितियों में अनुबंध समाप्त करने का अधिकार रखेगी:
(क) भोजन की गुणवत्ता लगातार खराब रहने पर
(ख) नियम एवं शर्तों का उल्लंघन होने पर
(ग) स्वच्छता एवं स्वास्थ्य मानकों का पालन न करने पर
(घ) गलत जानकारी/फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर
(ङ) कार्य में लापरवाही अथवा असंतोषजनक सेवा पर
(च) संस्था/छात्राओं के हितों के प्रतिकूल कार्य पाए जाने पर।
47. अनुबंध समाप्त होने की स्थिति में संस्था को कार्यपालन सुरक्षा राशि देय राशियों से समायोजन करने तथा आवश्यकता पड़ने पर धरोहर राशि/सुरक्षा राशि जब्त करने का अधिकार होगा।
48. अनुबंध समाप्ति/समाप्त होने पर मेस संचालक को संस्था की सभी संपत्तियाँ, उपकरण, अभिलेख एवं कार्यभार सुव्यवस्थित रूप से वापस/हस्तांतरित करना होगा।
49. संस्थान समय-समय पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त निर्देश जारी कर सकती है, जिनका पालन मेस संचालक को करना होगा।
50. खाना बनाने हेतू उपयुक्त सामान जैसे राशन, गैस इत्यादि ठेकेदार द्वारा ही उपलब्ध करवाया जायेगा।
51. मैस मे काम करने वाला कोई भी व्यक्ति छात्राओ के कमरों में नही जायेगा।
52. प्रत्येक माह की 10 तारिख तक मैस का बिल छात्राओं द्वारा अदा कर दिया जायेगा जिसकी रसीद आपके द्वारा छात्रो को देना अनिवार्य होगा।
53. भोजन के लिए निर्धारित दरो मे 31, जुलाई 2027 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
54. मैस का ठेका एक वर्ष के लिए मान्य होगा।
55. भोजन बनाने, भोजन वितरित करने एवं बर्तन साफ करने के लिए अलग-2 व्यक्ति होने चाहिए।
56. मैस ठेकेदार को स्वयं एवं मैस में कार्य करने वाले अन्य कर्मचारियों का स्थाई निवास प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड प्रस्तुत करने होगे।
57. मैस में कार्य करने हेतु सम्बन्धित व्यक्तियों को, इस संदर्भ में सरकारी अस्पताल द्वारा जारी Medical fitness certificate , मैंस शुरू करने होने पर जमा करवाने होगे।
58. अगर कन्या/ लड़को छात्रावासो में खाना उपरलिखित आहारिका के अनुरूप नहीं दिया गया तो ठेका तुरन्त प्रभाव से रद कर दिया जायेगा और धरोहर राशि भी वापिस नही की जायेगी।
59. मैस ठेकेदार एवं मैस में कार्य करने वाले अन्य कर्मचारियों को अपने रहने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
60. मैस में काम करने वाले लोग अपने किसी रिश्तेदार अथवा अन्य किसी मित्र/व्यक्ति को मैस मे नहीं ला सकेगें।
61. कन्या/ लड़को के छात्रावास के मैस ठेके को बिना किसी कारण बताये किसी भी समय रद करने का अधोहस्ताक्षरी को पूर्ण अधिकार होगा।
62. मैस आरम्भ करने से पूर्व fssai Registration/license के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा और बाद में उसके बनने के बाद संस्थान में उसकी प्रतिलिपि जमा करवाना अतिआवश्यक है अतः मेस आरम्भ करने से पहले fssai license के लिए जो आवेदन किया है उसकी प्रतिलिपि संस्थान में जमा करवाना अनिवार्य हैं और बाद में fssai license की प्रतिलिपि।
63. न्यूनतम 18 वर्ष के स्वस्थ, चिकित्सकीय रूप से फिट कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए। नावालिग बच्चों की नियुक्ति निषिद्ध है। सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन व फोटो अनिवार्य है।

64. छात्राओं एवं मैस कमेटी के अनुमोदन पर मैस कॉन्ट्रैक्ट को अधिकतम 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ Renewal किया जा सकता हैं। यह Renewal 03 वर्ष से ज्यादा नहीं होगा।

65. बोलीदाता/निविदाकर्ता के पास 01 वर्ष का अनुभव होना चाहिए जोकि निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक हैं

66. वित्तीय बोली/ Financial Bid :-

(क) दरे/ Rate परिशिष्ट "क" Annexure-A के अनुसार उद्धरण किया जायेगा

इच्छुक पार्टियां उक्त निविदा हेतु फार्म, संस्थान में 500/–मात्र, शुल्क अदा करके प्राप्त कर सकते है, इसके अतिरिक्त किसी अन्य जानकारी हेतू दुरभष नं0 01976–242222 पर सम्पर्क किया जा सकता है। इच्छुक पार्टियां अपनी निविदा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 21.07.2026 को अपराहन 01.00 बजे से पहल जमा करवा सकते हैं। निविदाए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उसी दिन दिनांक (दिनांक 21.07.2026) को अपराहन 03.00 बजे खोली जाएगी। निवेदक एवं उनके प्रतिनिधि भी निविदाए खोलने की प्रकिया खोलने में उपस्थित हो सकते हैं।

प्रधानाचार्य
डा0बी0आर0अम्बेदकर राजकीय बहुतकनीकी
अम्बोटा जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

पृष्ठाकन संख्याः जीपीए/जी–11/2004/– 2883-89 दिनांकः– 30.06.2026

प्रतिलिपिः

1. 03 प्रतियां उपायुक्त कार्यालय ऊना जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश को उनके सूचना पट्ट पर आम जनता की सूचनार्थ, हेतु
2. 03–03 प्रतियां उपमण्डलाधिकारी कार्यालय, ऊना, अम्ब, बंगाणा, हरोली और गगरेट जिला ऊना को उनके सूचना पट्ट पर आम जनता की सूचनार्थ, हेतु ।
3. 03–03 प्रतियां विकास खंड अधिकारी कार्यालय, ऊना, अम्ब, बंगाणा, हरोली और गगरेट जिला ऊना को उनके सूचना पट्ट पर आम जनता की सूचनार्थ हेतु
4. 10 प्रतियां सार्वजनिक स्थलो पर आम जनता की सूचनार्थ हेतु।
5. प्रभारी अधिकारी मेस (आन्तरिक) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्रभारी वेबसाइट (आन्तरिक) को निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्त को संस्थान की वेबसाइट में अपलोड करे।
7. संस्थान के सूचना पट्ट।

प्रधानाचार्य
डा0बी0आर0अम्बेदकर राजकीय बहुतकनीकी
अम्बोटा जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

परिशिष्ट "क"/Annexure A

Sr. No. क्रमांक	Name of item/s वस्तु/वस्तुओं का नाम	Quoted Rates (₹) उद्धृत दरें (₹)	Remarks/ टिप्पणी
1	**For Girls Hostel** Breakfast, lunch, Dinner & Snacks with tea कन्या छात्रावास के लिए नाश्ता, लंच, डिनर और चाय के साथ स्नैक्स		
2	**For Boys Hostel** Breakfast, lunch & Dinner लड़कों के छात्रावास के लिए नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना		

नोट:

1. अचार, सॉस/चटनी आदि जैसी वस्तुओं के लिए छात्रों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
2. बोलियां लगाने वालों को सलाह दी जाती है कि दरें/rates देने से पहले उपलब्ध स्थान/संसाधनों का निरीक्षण कर लें।

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)